

# कार्यालय उपायुक्त स्वतः रोजगार, चन्दौली।

पत्रांक

690 / एन0आर0एल0एम0 / प्रेरणा दिवस / 2015-16

दिनांक 01/03/2016

## कार्यालय ज्ञाप/नोटिस सूचना

दिनांक 18.03.2016 को नवीन मण्डी समिति लीलापुर में "प्रेरणा दिवस" आयोजित किया गया है। आयोजन के तहत समय से पूर्व विभिन्न कार्यों जैसे 1500 व्यक्तियों के लिये टेन्ट व्यवस्था में पण्डाल का निर्माण, आगन्तुको के बैठने हेतु कुर्सी-टेबल, स्टेज निर्माण, कार्यक्रम स्थल पर स्टाल का निर्माण, जनरेटर सहित लाइटिंग व्यवस्था, माइक व साउण्ड सिस्टम, कार्यक्रम की फोटो ग्राफी, वीडियो ग्राफी व फिल्म निर्माण, खाने पीने हेतु चाय-नाश्ता एवं लन्च पैक तथा पीने का पानी, पोस्टर-बैनर, पुस्तिका-आमन्त्रण कार्ड छपवाना, एवं प्रतिभागियों को आने जाने हेतु गाडी व आवश्यकतानुसार अन्य कार्य को कराया जाना है।

- 1- प्रतिभागियों के आने जाने हेतु गाडी :- निम्नानुसार प्रतिभागियों को जनपद के विकास खण्डो से आने जाने हेतु एस0यू0वी0 गाडी, बडी बस एवं मिनी बस

विकास खण्ड	प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिभागियों को नवीन मण्डी समिति लीलापुर कार्यक्रम स्थल तक लाने एवं वापस ले जाने का स्थान एवं अनुमानित दूरी कि0मी0 में	
धानापुर	500	विकास खण्ड धानापुर से कार्यक्रम स्थल	आना जाना दूरी 90
चहनियां	200	विकास खण्ड चहनियां से कार्यक्रम स्थल	आना जाना दूरी 50
सकलडीहा,	525	विकास खण्ड सकलडीहा, से कार्यक्रम स्थल	आना जाना दूरी 30
चन्दौली,	75	विकास खण्ड चन्दौली, से कार्यक्रम स्थल	आना जाना दूरी 10
बरहनी,	75	विकास खण्ड बरहनी, से कार्यक्रम स्थल	आना जाना दूरी 10
नियामताबाद,	75	विकास खण्ड नियामताबाद, से कार्यक्रम स्थल	आना जाना दूरी 30
शहाबगंज	75	विकास खण्ड शहाबगंज से कार्यक्रम स्थल	आना जाना दूरी 80
चकिया	75	विकास खण्ड चकिया से कार्यक्रम स्थल	आना जाना दूरी 90
नौगढ़	75	विकास खण्ड नौगढ़ से कार्यक्रम स्थल	आना जाना दूरी 160

- 2- नवीन मण्डी समिति लीलापुर के शोड एवं मैदान में लगभग 1500 व्यक्तियों हेतु

### (अ) सम्पूर्ण टेन्ट व्यवस्था:-

1	1400 व्यक्तियों के बैठने का पंडाल टिन शोड में टेंट से घेरते हुये जमीन पर मैटिंग बिछा कर कम्पलीट स्टेज के पीछे आवश्यकतानुसार तिरपाल भी लगायें।
2	अतिथियों हेतु 30X20 का स्टेज टेबल-कुर्सी एवं सजावट सहित कम्पलीट
3	कार्यक्रम प्रस्तुत हेतु स्टेज 20X20
4	विशिष्ट अतिथियों हेतु बैठने की अलग व्यवस्था
5	मिडिया प्रबन्धन में प्रेस के प्रतिनिधियों हेतु बैठने की अलग व्यवस्था
6	1200 लोगों के लिये फाइबर की कुर्सी
7	15X10 फुट साइज के 20 स्टॉल

### (ब) विद्युत लाइटिंग एवं साउण्ड सिस्टम:-

1	1500 लोगों के लिये बने पण्डाल में लाइटिंग एवं पंखा
2	कम्पलीट साउण्ड सिस्टम 4 कार्डलेस माइक के साथ
3	जनरेटर व्यवस्था

क्रमशः2

D.C.N.R.L.M  
जनपद-चन्दौली

## (स) कार्यक्रम की फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी :-

1	लगभग 100 फोटो ग्राफी
2	कार्यक्रम की सम्पूर्ण विडियो ग्राफी एवं सभी पहलुहो का 4-6 घन्टे का विडियो क्लिप एवं एडिटिंग करके 30 मिनट की 1 डाक्युमेंट्री फिल्म

## (द) खाने-पीने की व्यवस्था:-

1	स्पेशल थाली 175 लंच पैकेट (मिक्स सब्जी 1, खोया/मटर पनीर 1, रोटी 2, बटर नॉन 1, फ्राइड राइस, पापड 1, सॉस 1, अचार, स्वीट डिश 1,
2	चाय 3000 कप/कोल्ड ड्रिंक 10 बोटल/नमकीन बिस्कीट (बडा कार्टून 4)
3	8 पूड़ी, सब्जी एवं 1 मिठाई एवं अचार का 1500 लंच पैकेट

## (य) मोमेंटो का निर्माण:-

1	10 वी आइ पी मोमेंटो 11 X 9
2	20 सामान्य तरीके का मोमेंटो 7 X 5

## 3- पुस्तिका के विमोचन हेतु प्रगति पुस्तिका व निमंत्रण पत्र छपवाना :-

1	एन0आर0एल0एम0 कार्यक्रम सम्बन्धित 200 पुस्तिका
2	100 निमंत्रण पत्र

## 4- बैनर - स्लोगन बैनर बनाना :-

1	12x8 का 4 बडा बैनर
2	2x4 का 20 छोटा स्लोगन बैनर

उपरोक्त कार्यों के लिये अलग-अलग कोटेशन दर आमन्त्रित किये जाते हैं। अतः इच्छुक आपूर्ति कर्ता फर्म, डीलर, टेन्ट व्यवसायी, कैटर, फोटो ग्राफर, वीडियो ग्राफर, विद्युत सजावट के दुकानदार एवं कारीगर तथा प्रिन्टिंग प्रेस अपनी कोटेशन दर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के विकास भवन विछियां चन्दौली स्थित कार्यालय में दिनांक 07.03.2016 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। शर्तें निम्नवत हैं।

1. बिक्री कर विभाग में पंजिकृत आपूर्ति कर्ता फर्म, डीलर, टेन्ट व्यवसायी, कैटर, फोटो ग्राफर, वीडियो ग्राफर, विद्युत सजावट के दुकानदार एवं कारीगर तथा प्रिन्टिंग प्रेस को वरीयता दी जायेगी। अतः कोटेशन दाता बिक्री कर विभाग से निर्गत अपना टीन नम्बर/प्रमाण पत्र सलग्न करे।
2. संस्थाये/फर्म जहाँ भी कार्य की हों उसका अनुभव प्रमाण देवें तथा सामानो का नमूना भी दिखाये।
3. पुस्तिका/कार्ड/बैनर के मैटर का प्रारूप कार्यालय में उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

1.C.N.R.L.M  
गणपत-चन्दौली

क्रमशः3

4. जिस कागज पर पुस्तिका/कार्ड छापा जायेगा उसका नमूना लगाया जाये।
5. छापने एवं बैनर बनाने हेतु कोटेशन के फाइनल होने के पश्चात छपाई के पूर्व छापे जाने वाले मैटर का प्रूफ दिखाना होगा। प्रूफ के सत्यापन में मैटर सही पाये जाने अथावा त्रुटि के संशोधन उपरान्त प्रूफ मैटर अनुसार छपाई करना होगा।
6. सामानो की मात्रा घट-बढ़ सकती है। अतः आवश्यकता अनुसार ही आपूर्ति ली जायगी।
7. प्रत्येक कार्यो हेतु कोटेशन दर समस्त करो सहित अलग-अलग दी जाये।
8. उपरोक्तानुसार जहाँ जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप गाडी ली जायेगी। अतः गाडी की अलग-अलग दर दी जाये।
9. खाने-पीने के सामानो की आपूर्ति दिनांक 18.03.2016 को ली जायेगी। शेष समस्त अन्य सामानो की आपूर्ति दिनांक 18.03.2016 के पहले करना अनिवार्य है।
10. कार्यक्रम स्थल पर पण्डाल का निर्माण, बैठने हेतु कुर्सी-टेबल, स्टेज निर्माण, सजावट, स्टाल निर्माण, जनरेटर, लाइटिंग, माइक व साउण्ड सिस्टम, इत्यादि की व्यवस्था दिनांक 18.03.2016 से पूर्व दिनांक 17.03.2016 तक करना अनिवार्य है।
11. आपूर्ति आदेश से अधिकतम 3 दिन के अन्दर करना होगा। विलम्ब की स्थिति में आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
12. सही सामानो की आपूर्ति ली जायेगी। सामानो की गुणवत्ता सही नही होने पर आपूर्ति नही ली जायेगी, ऐसी स्थिति में आपूर्ति आदेश रद्द कर दिया जायेगा।

(योगेन्द्र कुमार पाठक)  
उपायुक्त स्वतः रोजगार,  
चन्दौली।

पत्रांक 620 / उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक यू0पी0एस0आर0एल0एम0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी चन्दौली।
3. मुख्य विकास अधिकारी चन्दौली।
4. परियोजन निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चन्दौली।
5. उपायुक्त स्वतः रोजगार जनपद - वाराणसी।
6. जिला सूचना अधिकारी, जनपद चन्दौली।
7. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी, जनपद - चन्दौली।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद चन्दौली।
9. समस्त सहायक विकास अधिकारी, आई0एस0बी0 जनपद चन्दौली।
10. नाजिर, कलेक्ट्रेट/जिला विकास कार्यालय एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चन्दौली।
11. सूचना पट्ट।

उपायुक्त स्वतः रोजगार,  
चन्दौली।